

राजस्थान सरकार



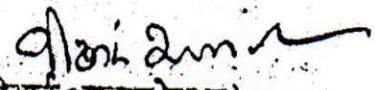
राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 264 1972-73

यह प्रमाणित किया जाता है कि "सन्त श्रीजि. प्रभुभानंत सो सो घंटी
..... उदयपुर जिला उदयपुर का
राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २५/०१/७३ माह १९७३ तन् एक हजार नौ सो तिहत्तर को
जयपुर में दिया गया।




(बी. आर. राजगा पाल)
राजिस्ट्रार संस्था, राजस्थान,
जयपुर।

